

राष्ट्र प्रमुख संचालित लोकतंत्र समय की मांग

कई कमियों की वजह से जनता में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से लगातार निराशा व असंतोष बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान प्रजातंत्रिय प्रणाली की क्षमता व शुद्धता के बारे में जनता का विश्वास गभीरता से नष्ट हो रहा है। यह हकीकत है कि हमारी वर्तमान राजकीय व्यवस्था ने ऐसे खुद का स्वार्थ साधनेवाले राजनेताओं की घुणित कौम को पैदा किया है। जिन्होंने लोगों के कल्याण व हित को अनदेखा कर दिया है। चुनाव में संदिग्ध धन संग्रह के नित्य नवीन तरीके, राजनीति का अपराधीकरण, राजनेताओं व सरकारी अफसरों का अनियंत्रित भ्रष्टाचार (जो अब आकाश को छू रहा है) को जन्म दिया है। हमारे विधायकों को विधायिका के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ अभ्यास (होमवर्क) करना जरूरी है। मंत्रियों की बारंबार अदला-बदली राज्य व केंद्र में सरकारों की लगातार अस्थिरता, जनता का विश्वास संपादन कर सके ऐसे नेताओं की कमी आदि के कारण वर्तमान व्यवस्था में लोगों का विश्वास डगमगा गया है। देश के बेहतर शासन के लिए हमारी वर्तमान संसदीय प्रणाली के एवज में यू. एस. ए. जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों के प्रजातंत्र का संशोधन करने पर अपने देश के

लिए राष्ट्र प्रमुख संचालित लोकतंत्र ही कुछ संशोधनों के साथ उचित साबित होगा, ऐसा विदित होता है। इस पद्धति के कई फायदे हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। जैसे इसकी स्थिरता, सर्वोच्च व्यावसायिकों की मंत्रिमंडल में सीधी नियुक्ति, मंत्रिमंडल से संसद या विधानसभा को अलग करना और पक्ष पद्धति को विशेष प्रोत्साहन न करने की नीति इन सबका महत्व कम नहीं आंका जा सकता। इसके अतिरिक्त मेयर से लेकर राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए किए जानेवाले सीधे चुनाव की प्रक्रिया जिसके कारण सुयोग्य और मेधावी व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व पद के लिए अधिक सुसज्ज रीति से उद्भव होना संभव होता है। प्रमुखीय शासन पद्धति के अतिरिक्त हम अन्य सुधारों में जर्मनी के वर्तमान संविधान में अपनायी गयी चुनाव पद्धति जिसमें संसद की ५० प्रतिशत बैठकें राजनैतिक पक्षों के लिए आरक्षित की जाती हैं, उसका अनुपात इन पक्षों को चुनाव में प्राप्त किये गये मतों के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाता है। वर्तमान पद्धति के अनुसार अधिक मत प्राप्त करनेवाले व्यक्तिगत उम्मीदवार को स्थान प्राप्त होता है। इस संशोधन से प्रत्येक पक्ष को उसके द्वारा प्राप्त किये गये मतों के प्रतिशत

के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिक सुयोग्य अवसर मिलेगा। हमारी वर्तमान पद्धति के अनुसार कई बार जो पक्ष अन्य पक्षों की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त करता है वह उसकी लोकप्रियता दर्शाता नहीं है। दूर तक फैले हुए अनियंत्रित भ्रष्टाचार, २ जी स्पैक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल व अन्य कई घोटालों की ओर हमारा ध्यान ले गया है और हमारे दिमाग को चकित कर दिया है बाद में अन्नाजी हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने अग्नि जो प्रज्वलित होने की राह देख रही थी, उसकी चिनगारी का काम किया है। जबकि जनलोकपाल के आंदोलन के द्वारा लोकपाल को महत् ताकत देने का सोचा जा रहा है। ये बात बहुत स्वागत योग्य है पर हमें ऐसी पद्धति लाने की कोशिश करनी होगी जो बीमारी को मिटा दे न कि उसके लक्षण का इलाज करे। बेहतर शासन हेतु आवश्यक परिवर्तन करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था को जनता के समक्ष स्पष्ट करना होगा। हमारी वर्तमान व्यवस्था में एक ईमानदार स्पष्टवादी प्रधानमंत्री तक मूक दर्शक बनकर अपने कुशासन के साथ दिमाग को चकित कर देनेवाले घोटाले जो लालची नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं उसका साक्षी बना है। जबकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठापात्र व्यक्ति जैसे बीके नेहरू,



नानी पालखीवाला व जेआरडी टाटा ने राष्ट्रपति शासित प्रजातंत्र की पैरवी की है। इस संबंध में कोई भी संगठित सच्चे प्रयास नहीं किए गए हैं। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था से निराशा व हताश होकर कई चिंतित नागरिकों ने विभिन्न राजनैतिक पक्षों का निर्माण कर उन्हें पंजीकृत किया है। दुर्भाग्यवश इन पक्षों के पास विचार करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में फोरम ही ऐसा अकेला पंजीकृत राजनैतिक दल है जिसके सुस्पष्ट घोषणापत्र में सुशासन हेतु प्रमुखशाही चालित प्रजातंत्र ही एकमात्र पद्धति है।

□ **जसवंत बी. मेहता**

दूरभाष:- ६६१५०५०५०७

(लेखक फोरम फॉर

प्रेसिडेन्शियल डेमोक्रेसी के संस्थापक व संयोजक हैं।)